

**बिहार लोक सेवा आयोग,**

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001

शिक्षा विभाग, बिहार के अधीनस्थ राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवम् अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य, भूगर्भ शास्त्र (वि.सं. 71/2014) के तहत प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदनों एवं उसके साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के समीक्षोपरान्त निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों को अनर्हित से औपबंधिक रूप से अर्हित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	अनुक्रमांक	पूर्व की स्थिति	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	6
1.	रविन्द्र प्रताप सिंह	71010113	अनर्हित	औपबंधिक रूप से अर्हित
2.	शेखर	71010147	अनर्हित	औपबंधिक रूप से अर्हित

2. शेष निम्नलिखित उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन के साथ संलग्न साक्ष्यों के समीक्षोपरान्त विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाने के कारण पुनः अस्वीकृत करते हुए अनर्हित की श्रेणी में यथावत रखा गया है :-

71010004	71010012	71010025	71010026	71010071	71010088	71010096	71010149
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

3. LPA NO-227/2016 एवं 511/2016 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में दिनांक-01.12.2002 के पूर्व BET/SET उत्तीर्ण निम्नांकित उम्मीदवारों को अनर्हित से अर्हित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	अनुक्रमांक	पूर्व की स्थिति	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	6
1.	अजय कुमार सिंह	71010039	अनर्हित	औपबंधिक रूप से अर्हित
2.	संजय कुमार	71010058	अनर्हित	औपबंधिक रूप से अर्हित
3.	राजेन्द्र कुमार देव	70100108	अनर्हित	औपबंधिक रूप से अर्हित

4. भूगर्भ शास्त्र विषय के विशेषज्ञों की समिति से प्राप्त संस्तुति के आलोक में स्नातकोत्तर की उपाधि भूगर्भ शास्त्र विषय में नहीं प्राप्त रहने के कारण निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों को अर्हित से अनर्हित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	अनुक्रमांक	पूर्व की स्थिति	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	6
1.	सचिन गुप्ता	71010010	अर्हित	अनर्हित (M.Sc. Petroleum Geoscience)
2.	रंजित कुमार पासवान	71010106	अर्हित	अनर्हित (M.Sc. Petroleum Geoscience)

5. विज्ञापन संख्या-68/2014 से 71/2014 में स्थानान्तरण के फलस्वरूप नुपूर, पिता-श्री ज्ञान भूषण, जन्म तिथि-27.12.1987, अनुक्रमांक-71010166 को विहित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करने के कारण अनर्हित की श्रेणी में शामिल किया जाता है।

6. अर्हित/औपबंधिक रूप से अर्हित उम्मीदवारों में से नियमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के पाँच गुणा उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार देय अधिभार अंकों के आधार पर तैयार की जाने वाली मेधा सूची से आरक्षण कोटिवार मेधाक्रमानुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

7. साक्षात्कार कार्यक्रम की सूचना बाद में दी जाएगी।

25/3/2017  
विशेष सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।